न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 1ए/16

1. सुमित्रा देवी पुत्री केसरी सिंह धर्मपत्नी प्रभुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रानपुर हाल निवासी कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

(वादिनी)

वनाम

1. वृजराज सिंह पुत्र राजकुमार
2. पूरण सिंह पुत्र राजकुमार
   जाति राजपूत, निवासीगण रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. अनिता पुत्री राजकुमार धर्मपत्नी विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डोलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. सुनीता पुत्री राजकुमार धर्मपत्नी रामपाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उम्मेदगंज, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. गुड्डी बाई उर्फ गेंद कंवर पुत्री राजकुमार धर्मपत्नी जसवन्त सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डोल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. रामकन्या बाई विधवा पत्नी राजकुमार, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7. जगदीश सिंह आत्मज रामकिशन सिंह, जाति राजपूत, निवासी कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. राधा आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री जगदीश सिंह जर्ये पिता स्वयं
9. नेहा आयु 7 वर्ष नाबालिग पुत्री जगदीश सिंह
   जाति राजपूत, निवासी कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11. उप पंजीयक, भण्डाना, जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थिति :– श्री अरुण कुमार जैन, अभिभाषक वादिनी
श्री राजेश कुमार शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6
श्री विजय कुमार वर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 9

दिनांक : 19.10.2022

राजीनामा निर्णय

1. वादिनी की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92(ए), 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय हाजा में पेश किया गया।
2. वादिनी की ओर से पेश वादपत्र में निवेदन किया गया कि –
   - वादिनी के नानाजी माधोसिंह एवं उनके भाई किशन सिंह जी के शामलाती खाते में ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की जमाबन्दी संवत 2024–2027 में खसरा नम्बर 115, 121, 135, 136, 137, 138, 226 कुल किता 7 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा आराजी दर्ज थी।
   - वादिनी के नाना माधोसिंह के स्वर्गवास पश्चात उनकी पुत्री भंवर बाई एवं किशन सिंह के नाम संवत 2026–2046 में भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग का पट्टा भी जारी हो गया था परन्तु राहवनवश जमाबन्दी संवत 2024–2027 में किशन सिंह नाम गलत दर्ज हो गया जबकि माधोसिंह के स्वर्गवास बाद उसकी पुत्री भंवरी बाई पुत्री माधोसिंह पत्नी केसरी सिंह का नाम दर्ज होना चाहिये था क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग को राजस्व रिकोर्ड में एन्ट्रीज चेन्ज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
   - इसी प्रकार भंवरी बाई पत्नी केसरी सिंह का स्वर्गवास होने के पश्चात उसकी पुत्री वादिनी सुमित्रा देवी का नाम अंकित होना चाहिये था।

Parthvi

- इस कारण समस्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड के 1/2 हिस्से में वादिनी सुमित्रा बाई का नाम अंकित करवाया जाना आवश्यक हो गया है।
- सेटलमेन्ट उपरान्त उपरोक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 344, 515, 516, 517, 546, 548, 549 कुल किता 7 रकबा 1.80 हैक्टर कायम किये गये जिसकी नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2038–2057 एवं नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074 संलग्न पेश है।
- वादिनी की माताजी श्रीमती भंवरी बाई पत्नी केसरी सिंह जी का स्वर्गवास दिनांक 05.10.68 को हो गया है, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बोराबास, पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
- वादिनी की माता भंवरी बाई की मृत्यु उपरान्त किशन सिंह का तथा किशन सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके पुत्र राजकुमार सिंह मिलीभगत कुल 7 किता की 1.80 हैक्टर आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि वादिनी मृतक माधोसिंह की पुत्री भंवरी बाई की पुत्री होने से उक्त आराजी में कानूनन उसका 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया।
- राजकुमार पुत्र किशन सिंह एवं उसकी पुत्री छोटी बाई का स्वर्गवास हो गया है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 6 स्व. राजकुमार सिंह के तथा प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 10 स्व. छोटी बाई पुत्री राजकुमार सिंह के वारिस व कायम मुकाम है।
- वादिनी को उक्त राजस्व रिकार्ड की दिनांक 04.01.2016 को जानकारी होने तथा प्रतिवादीगण से खातेदारी व विभाजन का निवेदन करने पर वे लडाई झगडा करके आराजी को बेचान, दान, वसीयत या अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर दिनांक 04.01.2016 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।
- अतः निवेदन है कि वादिनी को विवादित आराजी के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादिनी का 1/2 हिस्सा पृथक खाते दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित आराजी को खुर्द बुर्द नहीं करे।

3. प्रतिवादीगण की ओर से पेश जवाब दावा में वादपत्र के कथनों को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया गया कि –
   - स्व. माधोसिंह व स्व. किशनसिंह, नन्दसिंह जी के पुत्र थे। प्रश्नगत भूमि संयुक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति रही है।
   - जब माधोसिंह की मृत्यु हुई तब माधोसिंह के कोई पुत्र नहीं होने के कारण माधोसिंह की पगडी (पाग) किशन सिंह के बांधी गई थी। माधोसिंह की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर उसकी पुत्री भंवरी बाई का नाम दर्ज किया गया। उक्त भंवरी बाई का लालन पालन किशन सिंह ने ही किया था जिसका बाल्यावस्था में निधन हो गया था।
   - वादिनी की माता एवं स्वयं वादिनी की कभी खातेदारी अधिकार एवं विभाजन का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। वाद अवधि वाधित है।
   - प्रतिवादीगण लम्बी अवधि से खातेदार व काबिज है। प्रतिपक्षीगण एडवर्स पजेशन रखते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

4. दौराने वाद प्रकरण में राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि पक्षकारान के मध्य आपस में निम्नानुसार राजीनामा हो गया है –
   - प्रकरण की विवादित आराजी खसरा नम्बर 548 रकबा 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 549 रकबा 0.49 हैक्टर को श्री राजकुमार ने अपने जीवनकाल में ही श्रीमती मीनाक्षी शुक्ला पत्नी विश्वास शुक्ला को प्रतिफल स्वरूप विक्रय कर दिया था जिसकी वादिनी को भी जानकारी है तथा उक्त हिस्सा विक्रय किये जाने पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।
   - वादिनी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में यह राजीनामा हो गया है कि क्रेता मीनाक्षी शुक्ला को उक्त आराजी दिये जाने के बाद
   - वादिनी की ओर से प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण, खसरा नम्बर 344, 515, 516, 517, 546 में से वादिनी को ब्यारे वाली जमीन ढाई बीघा जमीन देने हेतु पूर्णतया सहमत है तथा शेषष आराजी पर प्रतिवादीगण का एकमात्र स्वामित्व बरकरार रहेगा। वादिनी उक्त ढाई बीघा जमीन की खातेदारी स्वयं के नाम पर करवा सकेगी, इसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रहेगी।
   - खसरा नम्बर 548 व 549 के विक्रय पत्र का पंजीयन बिना कोई अन्य राशि प्राप्त किये

मीनाक्षी शुक्ला पत्नी विश्वास शुक्ला के पक्ष में करवाने का दायित्व वादिनी व प्रतिवादीगण का होगा तथा वे इसमें कोई आपत्ति नहीं करेगें।

- वादिनी व प्रतिवादीगण द्वारा एक दूसरे के विरूद्ध दायर किये गये जो भी मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है उन्हें खारिज करवाने का दायित्व सम्बन्धित पक्षकार का होगा।
- नाबालिग वोरा उर्फ कमलेश कंवर का दिनांक 28.08.2022 को देहान्त हो गया है जो अविवाहित थी।
- उक्त राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किया जाकर तदनुसार डिक्रया पर्चा बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।
- उक्त राजीनामा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से आपसी सम्बन्धें में सौहार्द बनाये रखने हेतु बिना किसी दबाव के पूर्ण होश हवास स्वरूथ चित्त अवस्था में आलेखित किया है।
- अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा अनुसार डिक्री पर्चा बनाये जाने के आदेश प्रदान करें।

5. पक्षकारान की ओर से पेश उक्त राजीनामा उनके अभिभाषक की ओर से पेश हुआ। इस दौरान मृतक प्रतिवादी क्रम–10 के अतिरिक्त प्रकरण के समस्त पक्षकार उपस्थित रहे। नाबालिग के अतिरिक्त अन्य सभी पक्षकारान की ओर से अपनी पहचान स्वरूप पेश मूल आधार कार्ड से, उनके द्वारा पूर्व में पेश स्वप्रमाणित फोटोप्रतियों का मिलान किया गया तथा सही पाया गया। वादिनी की पहचान वादी अभिभाषक द्वारा तथा प्रतिवादी पक्षकारान की पहचान उनके सम्बन्धित अभिभाषक द्वारा की गई। समस्त उपस्थित पक्षकारान तथा उनके अभिभाषकगणों के आदेशिका में उपस्थिति हस्ताक्षर करवाये गये। पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा के सम्बन्ध में उनसे जानकारी लिये जाने पर उनके द्वारा सहमति देते हुये राजीनामा में अंकितानुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। साथ ही वादिनी के अभिभाषक ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उक्त राजानामा में चाही गई सम्पूर्ण ढाई बीघा आराजी एक ही स्थान पर दी जावे तथा अलग अलग टुकडों में आराजी नहीं दी जावे। अतः राजीनामा तस्दीक किया जाता है।

6. उक्तानुसार पेश राजीनामा पर पक्षकारान की सहमति के आधार पर प्रकरण का विवेचन करने पर यह स्पष्ट है कि

   - यद्यपि विवादित आराजी में वादिनी का 1/2 हिस्सा निहित है तथापि पक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा अनुसार वादिनी, विवादित आराजी में से ढाई बीघा अर्थात 0.4 हैक्टर आराजी लेने हेतु सहमत है तथा प्रतिवादीगण, वादिनी को उक्त आराजी देने सहमत है।
   - प्रकरण की विवादित आराजी के समस्त खसरा नम्बरान का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि चूंकि राजीनामा में अंकितानुसार खसरा नम्बर 548, 549 का बेचान हो चुका है, तो इसमें से वादिनी को कुछ नहीं दिया जा सकता है।
   - इसके अतिरिक्त अन्य खसरा नम्बर 344, 515, 516, 517, 546 में से केवल खसरा नम्बर 344 का रकबा 0.66 हैक्टर है तथा शेष खसरा नम्बर 515, 516, 517, 546 का रकबा क्रमशः 0.13, 0.13, 0.18, 0.16 है परन्तु राजीनामा अनुसार वादिनी को ढाई बीघा अर्थात 0.40 हैक्टर दिया जाना है जो खसरा नम्बर 344 में से ही दिया जा सकता है।
   - राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 के अनुसार भी जहाँ तक संभव हो किसी पक्षकार को उसके हिस्से की आराजी विभिन्न टुकडों में दिये जाने की अपेक्षा एक ही खसरा से दिये जाने के प्रावधान विद्यमान है।

   उपरोक्त विवेचनानुसार ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.66 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 344 रकबा 0.40 हैक्टर वादिनी के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

7. राजीनामा अनुसार यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया और टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 19.10.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(मुख्यालय), कोटा

मूल वाद में डिक्री (राजीनामा)
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : पार्थवी, R.A.S.

बउनवान :–

1. सुमित्रा देवी पुत्री केसरी सिंह धर्मपत्नी प्रभुसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रानपुर हाल निवासी कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादिनी)

बनाम

1. बृजराज सिंह पुत्र राजकुमार
2. पूरण सिंह पुत्र राजकुमार
   जाति राजपूत, निवासीगण रानपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. अनिता पुत्री राजकुमार धर्मपत्नी विजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डोलिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. सुनीता पुत्री राजकुमार धर्मपत्नी रामपाल, जाति राजपूत, निवासी ग्राम उम्मेदगंज, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. गुड्डी बाई उर्फ गेंद कंवर पुत्री राजकुमार धर्मपत्नी जसवन्त सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम डोल्या, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
6. रामकन्या बाई विधवा पत्नी राजकुमार, जाति राजपूत, निवासी ग्राम रानपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
7. जगदीश सिंह आत्मज रामकिशन सिंह, जाति राजपूत, निवासी कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
8. राधा आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री जगदीश सिंह जर्ये पिता स्वयं
9. नेहा आयु 7 वर्ष नाबालिग पुत्री जगदीश सिंह
   जाति राजपूत, निवासी कसार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
11. उप पंजीयक, मण्डाना, जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88-89-91-92A-188 RTA
मुकदमा नम्बर : 1A / 16
निर्णय दिनांक : 17-10-2022

GCMS id : 2016 / 00180

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री अरूण कुमार जैन तथा प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी अभिभाषक श्री राजेश कुमार शर्मा व श्री विजय कुमार वर्मा तथा समस्त बालिग पक्षकारान की उपस्थिति में सहमति से पेश राजीनामा तस्दीक किये जाने के उपरान्त आज तारीख 19–10–2022 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष प्रकरण पेश होने पर ग्राम रानपुर तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 344 रकबा 0.66 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 344 रकबा 0.40 हैक्टर वादिनी के पृथक खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। राजीनामा का डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई/टंकित करावाई जाकर आज तारीख 19 अक्टूबर, 2022 को न्यायालय मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

19/10/22

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय), कोटा

सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड			जोड	